सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 552 राँची, शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

22 फ़रवरी, 2024

संख्या-14/विविध-19/2023-1067--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04. 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, अधिसूचना संख्या-1166, दिनांक-28.02.2019 एवं अधिसूचना संख्या-4987, दिनांक-18.09.2019, अधिसूचना संख्या-1162, दिनांक-13.03.2023, अधिसूचना संख्या-4518, दिनांक-11.11.2022 एवं अधिसूचना संख्या-4972, दिनांक-31.10.2023** द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों/ आश्रितों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-526, दिनांक-24.01.2024 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित चिन्हित आंदोलनकारियों/ आश्रितों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र०	**चिन्हित आंदोलनकारी/आश्रित का विवरण**	**संकल्प संख्या-2108 दिनांक-07.05.2012 एवं संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहतपूर्व का वर्गीकरण**	**कंडिका संशोधन करने का आधार**	**संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण**
1	आवेदक रमेश लोहरा (आश्रित पति) पत्नी-स्व० फुलेश्वरी केरकेट्टा (लोहारिन) (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-लसिया पोस्ट-लसिया थाना-कोलेबिरा प्रखण्ड-कोलेविरा जिला:- सिमडेगा	अधिसूचना सं0-4972 दिनांक-31.10.2023 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (ix)	अधीक्षक, मंडल कारा, सिमडेगा के पत्रांक-1550, दिनांक-18.10.2023 से सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र। जेल की अवधि-07 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
2	आवेदक पिताम लोहार पिता स्व० शशीधर लोहार ग्राम :- काण्ड्रा, टोला डोकाकुल पोस्ट :- काण्ड्रा थाना काण्ड्रा प्रखण्ड :- गम्हरिया जिला सरायकेला-खरसावाँ	अधिसूचना सं0-4920 दिनांक-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	गम्हरिया थाना काण्ड सं0 40/89, जी०आर० 371/89 से संबंधित न्यायालय आदेष पत्रक के अनुसार पिताम लोहर इस काण्ड में दिनांक 18.07.1991 से 30.07.1991 तक संसीमित रहे है। जेल की अवधि-12 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)

3	आवेदक :- जगमनी भगत (आश्रित पत्नी) पति :- स्व० शिवदयाल भगत (आन्दोलनकारी) ग्राम तान पोस्ट: जिंगी प्रखण्ड कुडू थाना कुडू जिला: लोहरदगा	अधिसूचना सं0-4920 दिनांक-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) एवं अधिसूचना सं०-1162 दिनांक-13.03.2023 द्वारा अधिसूचित आश्रित	अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा के पत्रांक-841, दिनांक-25.07.2018 से सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र। जेल की अवधि-04 दिन। कार्यालय अंचल अधिकारी, कुडू के पत्रांक-96, दिनांक-19.01.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति।	कण्डिका-2(Viii)(a)
4	आवेदक मसो० नजमा खातून (आश्रित पत्नी) पति स्व० नईम खाँ (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- नवडीहा भण्डार टोली पोस्टः नवडीहा घाघरा थाना- घाघरा प्रखण्ड : घाघरा जिला - गुमला	अधिसूचना सं0-4518 अधिसूचित दिनांक-11.11.2022 द्वारा आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (ix)	घाघरा थाना काण्ड सं० 35/93, जी०आर० 274/93 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के अनुसार नईम खाँ इस काण्ड में दिनांक-09. 02.1994 से 24.03.1994 तक संसीमित रहे है। जेल की अवधि-01 माह 15 दिन	कण्डिका-2(Viii)(a)
5	नामः- रामकेश्वर सिंह पिता :- स्व० सुखदेव सिंह ग्राम :- चेटर टोला-रखांता पोस्टः- आन थाना चंदवा प्रखण्ड :- चंदवा जिला :- लातेहार	अधिसूचना सं0-4987 दिनांक-18.09.2019 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	अधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार के पत्रांक-583/जेल, दिनांक-11.04.2019 से सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र। जेल की अवधि-01 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)

6	नाम :- मनबहाल सिंह पिता :- स्व० बरजू सिंह ग्राम :- चेटर (रखांत) पोस्टः- आन थाना :- चंदवा प्रखण्ड :- चंदवा जिला :- लातेहार	अधिसूचना सं0-1166 दिनांक-28.02.2019 आन्दोलनकारी, द्वारा अधिसूचित कण्डिका-2 (अन्य)	अधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार के पत्रांक-980/ जेल, दिनांक-13.08.2018से सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र। जेल की अवधि-01 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
7	आवेदक :- बिनोद महली पिता :- श्री गृस महली ग्राम :- सरिसाकुण्डी पोस्ट :- डोमगढ़ थाना :- बलियापुर प्रखण्ड :- बलियापुर जिला :- धनबाद	अधिसूचना सं0-4920 दिनांक-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	सिन्दरी थाना काण्ड सं० 114/93, जी०आर० 3701/ 93 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक के अनुसार बिनोद महली इस काण्ड में दिनांक-02.10.1993 से 16.11.1993 तक संसीमित रहे है। जेल की अवधि-01 माह 14 दिन	कण्डिका-2(Viii)(a)

4. संबंधित उपायुक्त चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उपसचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 552 - 50